लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2495

06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू कपास ब्रांडों का प्रचार

2495. श्रीमती शांभवी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा परिधानों में घरेलू सूती ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सूती परिधान क्षेत्र में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): वस्त्र मंत्रालय ने कपास मूल्य श्रृंखला सहित भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की शक्ति को प्रदर्शित करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों पर प्रकाश डालने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए फरवरी, 2024 में एक ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट अर्थात् भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया।

भारतीय कपास की वैश्विक छवि को बढ़ाने और "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने कस्तूरी कॉटन भारत कार्यक्रम शुरू किया जो भारतीय कपास की ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणन और ब्रांडिंग में एक अग्रणी प्रयास है। यह पहल, भारत सरकार, व्यापार निकायों और उद्योग के बीच समन्वय है। कस्तूरी कॉटन से बने शुरुआती उत्पादों को दिसंबर, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (आईसीएसी) की 81वीं प्लेनरी बैठक के दौरान प्रदर्शित किया गया।

(ख) और (ग): भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। सरकार की भूमिका कच्ची सामग्री, उत्पादन के अन्य कारकों तक पहुंच बनाने में सहयोग करने, लागत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के साथ उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए विनिर्माण व्यवस्था और बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता करने तक फैली हुई है।

बँटे हुए वस्त्र क्षेत्र को एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना है। इस योजना का उद्देश्य सात प्रमुख राज्यों में आधुनिक, एकीकृत, बड़े पैमाने पर, विश्व स्तरीय औद्योगिक इकोसिस्टम बनाना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, जो मुख्य रूप से पूंजीगत

निवेश सब्सिडी के माध्यम से बुनाई से लेकर आगे के क्षेत्रों में बेंचमार्क टेक्सटाइल मशीनरी में पात्र निवेश के लिए एमएसएमई को लाभान्वित करती है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को सहयोग करता है, अनुसंधान, नवाचार, विकास, संवर्धन, बाजार विकास, कौशल प्रशिक्षण और निर्यात संवर्धन पर जोर देता है। इसके अलावा, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) माँग-आधारित, रोजगार-उन्मुख, कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य वस्त्र उद्योग के इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

सरकार इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और सहायता प्रदान करने के लिए अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत यह छूट उन वस्त्र उत्पादों के लिए भी उपलब्ध है जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत नहीं आते हैं। सरकार वस्त्र और गारमेंट्स निर्यात को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

***